



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 18181 सन् 2026

उदयभान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : जिज्ञासा त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.),

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम्

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) श्री अमृत राज को सुना।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मामला अपराध संख्या 578 सन् 2025, बीएनएस की धारा 115(2), 309(4), 317(2), थाना सदर बाजार, जनपद आगरा में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, अन्यथा उसे अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रारंभ में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। बाद में विवेचना के दौरान तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर इस मामले में नामजद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक न तो घटनास्थल से पकड़ा गया और न ही उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई। आवेदक को केवल गिरफ्तार सह-अभियुक्तों के कथित स्वीकारोक्ति बयानों के आधार पर इस मामले में फँसाया गया है। इन कथित स्वीकारोक्ति बयानों के अतिरिक्त ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे आवेदक का अपराध से संबंध स्थापित होता हो। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कुल चार अभियुक्तों में से तीन सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। विशेष रूप से सह-अभियुक्त संजू को 24.03.2026 के आदेश द्वारा, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6797 सन् 2026 (संजू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में जमानत दी गई है। अतः आवेदक का मामला उन सह-अभियुक्तों के समान है। यह भी बताया गया कि आवेदक 17.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, न्यायिक प्रक्रिया से नहीं भागेगा तथा विचारण में पूरा सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया।
5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समकक्ष पीठों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, न्यायालय का मत है कि समानता (पैरिटी) के आधार पर आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. आवेदक- उदयभान को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान किसी भी गवाह को डराएगा, धमकाएगा अथवा अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा तथा अनावश्यक स्थगन (तारीख) नहीं मांगेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।

7. यदि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कठोर कदम उठाने तथा विधि के अनुसार उसकी जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाणों का विधिवत सत्यापन करेगा।

दिनांक : 3 जून, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम,)

(6) di

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"